

कार्यालय : ग्राम पंचायत, नवलपुरा

पंचायत समिति शाहपुरा, जिला - जयपुर, राज.

प्रेषक :-

मंजू देवी यादव
सरपंच
ग्राम पंचायत नवलपुरा
तहसील - शाहपुरा, जयपुर (राज.)

प्रेषित :-

श्रीमान आधुशाही अभियंता
सा.नि.वि. जिलारबण
शाहपुरा

क्रमांक :- 162

दिनांक :- 15/6/2018

विषय :- वनाधिकार अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधन नियम 2012 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव मजोहपुर से डीटावा भोपजी वाया नवलपुरा, चारणावास (MDR 187) में ग्राम सभा बैठक के प्रस्ताव बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि दिनांक 30/01/17 को ग्राम सभा बैठक के प्रस्ताव संख्या 06 के द्वारा वनाधिकार अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधन नियम 2012 के अन्तर्गत उपरोक्त सड़क निर्माण का वनाधिकार अधिनियम के अनुसार परीक्षण किया गया जिसमें प्रस्तावित वन क्षेत्र मागटोरी छुट से गौनाकासर के मध्य पड़ने वाली वन भूमि में से सड़क गुजरने वाली सड़क के कारण अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधन नियम 2012 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है तथा वर्तमान में किसी भी प्रकार का आवाम नहीं है एवं न ही कोई आवामिय क्षेत्र सामान्य/अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत निवासी क्षेत्र प्रमाणित नहीं करते हैं। इस प्रस्ताव की उक्ति श्रीमान को आवाम कार्यवाही हेतु अधिनियम

सलग्न प्रस्ताव जतिलिपि


ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्राम पंचायत नवलपुरा
पं.स. शाहपुरा (जयपुर)

मंजू यादव

सरपंच

ग्राम पंचायत नवलपुरा
पं.स. शाहपुरा (जयपुर)